रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ ज्येष्ठ 15, 1939
No. 453] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/ JYAISTHA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

सा.का.नि. 552(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक और सहायक (कार्यालय) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में कार्यालय अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय अधीक्षक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	42 (2017)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 Rs. 35,400-1,12,400/-	चयन	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक :-** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री। **वांछनीय :-** सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी संगठन से लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण -1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल कि जा सकती है। **टिप्पण-2:-** अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं		प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति:- (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (Rs. 25500-81100/-) में ऐसे भण्डार सहायक जिन्होंने उस स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (Rs. 25500-81100/-) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की है. टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वशासी संगठन या कानूनी संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी– (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-5 (Rs. 29,200-92,300/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – अध्यक्ष; (ख) कार्यालय का प्रधान, (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण)– सदस्य; (ग) कार्यालय का प्रधान, (भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण)– सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – अध्यक्ष; (ख) कार्यालय का प्रधान, (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण)– सदस्य; (ग) कार्यालय का प्रधान, (भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण)– सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

			स्तर-4 (Rs. 25,500-81,100/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन, सीधी भर्ती होने के लिए विहित किए गए अहर्ताएं तथा अनुभव रखते हों। **टिप्पण:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 02/02/2014-सीएसजेड]

अनिल संत, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Group 'C' post) Recruitment Rules, 1963, insofar as it relates to the posts of Office Superintendent and Assistant(Office), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Office Superintendent in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Office Superintendent, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Office Superintendent.	42* (2017) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group – 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 in the pay matrix Rs. 35,400-1,12,400.	Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up-to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshwadweep.).	**Essential:** Degree from a recognised University/ Institute. **Desirable.-** Two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body. **NOTE-1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE-2:-** Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belong to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct	Period of probation.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be

recruits will apply in the case of promotees.		or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.			consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	(i) Forty per-cent by promotion, failing which by deputation including short-term contract; and (ii)Sixty per-cent by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion:- (i) Stores Assistant in Level-4 (Rs. 25,500-81,100) with ten years regular service in the level of the pay matrix; or (ii) Upper Division Clerk in Level-4 (Rs. 25,500-81,100) with ten years regular service in the level of the pay matrix. Note : "Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification / eligibility service." Deputation (Including Short Term Contract): Officers under Central Government / State Governments / Union territory Administrations/Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognised Research Institutions/ Semi Government or Autonomous Bodies/Statutory Organizations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 (Rs. 29,200-92,300/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 (Rs. 25,500-81,100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under	Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata -Chairman 2. Head of Office (Botanical Survey of India) -Member 3. Head of Office (Zoological Survey of India) - Member Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata -Chairman 2. Head of Office (Botanical Survey of India) -Member 3. Head of Office (Zoological Survey of India) - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			column (7). **Note :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note.** - Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on closing date of receipt of applications.		

[F. No. 02/02/2014-CSZ]

ANIL SANT, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.07 22:58:53 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.